न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/341

बाबू पुत्र माधो जाति बैरवा निवीस दौलतपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. मूलचन्द उर्फ मूल्या पुत्र औंकार जाति बैरवा निवीस दौलतपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा हाल निवीस पीएन 21 माही सरोवर विस्तार योजना के पास बासंवाडा जिला बांसवाडा ।
2. कान्हीं पुत्री माधो पत्नी प्रभूलाल जाति बैरवा निवासी नया–गॉव ग्राम पंचायत टाकरवाडा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, साहब जिला कोटा ।
4. उप पंजीयक महोदय तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री अरूण जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रामदयाल शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 27.02.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, इटावा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.05.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम दौलतपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा में हाल खसरा नम्बर 236 रकबा 0.60 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी के पिता के खाते की आराजी है अथात् वादी की पैतृक भूमि है । सेटलमेंट के बाद वादग्रस्त आराजी पर सेटलमेंट विभाग द्वारा बिना किसी आधार के वादी व उसकी माता गोमदी का नाम दर्ज करने के स्थान पर माधो, कन्या, हीरा पिसरान महराम का नाम दर्ज कर दिया जो कि प्रतिवादी क्रम 1 से 4 के पूर्वज हैं । सेटलमेंट विभाग को इस प्रकार का इन्द्राज करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था । प्रतिवादी क्रम 1 से 4 ने अपने पूर्वजों का नाम दर्ज होने का लाभ उठाकर नामान्तरकरण संख्या 03 दिनांक 2.06.89 के द्वारा अपना नाम वादग्रस्त आराजी में दर्ज करवा लिया तथा वादी का नाम 1/3 हिस्से पर मूल्या पुत्र कान्हा के रूप में दर्ज करवा लिया है । उक्त नामान्तरकरण से प्रतिवादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । प्रतिवादीगण उक्त गलत

इन्द्राज के आधार पर वादी को बेदखल करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है ।

3. अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादीगण क्रम 1 से 4 का नाम हटाया जाकर वादी के खाते दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादग्रस्त आराजी में वादी के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एंव डिक्री दिनांक 03.05.2018 के द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.05.2018 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 1 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी किये गये किसी भी सम्मन की अपीलान्ट पर विधिक रूप से तामील नहीं करवायी गई है क्योंकि अपीलान्ट बाबूलाल 12 वर्ष पूर्व से लकवे की बामीर से पीडित है और वह हमेशा पंलग पर ही लेटा रहता है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकारों के परे जाकर दिनांक 11.02.2008 को अपीलान्ट के विरूद्ध गलत तौर पर एक तरफा कार्यवाही कर दी तथा दिनांक 16.11.2017 को रेस्पोडेन्ट कान्हीं के एडवोकेट द्वारा नो इन्स्ट्रक्शन प्लीड कर दिया था । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को पक्षकार को नोटिस देकर उसकी विधिवत सुनवाई करना चाहिए था । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में निर्णित कर दिया । लोक अदालत की सूचना अपीलान्ट को नहीं दी । उक्त निर्णय प्राकृतिक न्याय के प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय ने सीपीसी की पालना किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.05.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का पेश कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

8. हमने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र के साथ जो दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं उनमें नकल जमाबन्दी संवत् 2057 से 2060 की प्रमाणित प्रति, नकल जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 की प्रमाणित प्रति, उक्त दस्तावेज राजकीय दस्तावेज हैं और प्रकरण के सम्बन्धित हैं जिनकी विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया जा सकता । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया किया प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का आदेश पारित किया जाता है ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी किये गये किसी भी सम्मन की अपीलान्ट पर विधिक रूप से तामील नहीं करवायी गई है क्योंकि अपीलान्ट बाबूलाल 12 वर्ष पूर्व से लकवे की बामीर से पीडित है और वह हमेशा पंलग पर ही लेटा रहता है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकारों के परे जाकर दिनांक 11.02.2008 को अपीलान्ट के विरूद्ध गलत तौर पर एक तरफा कार्यवाही कर दी तथा दिनांक 16.11.2017 को रेस्पोडेन्ट कान्हीं के एडवोकेट द्वारा नो इन्स्ट्रक्शन प्लीड कर दिया था । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को पक्षकार को नोटिस देकर उसकी विधिवत सुनवाई करना चाहिए था । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में निर्णित कर दिया लोक अदालत की सूचना अपीलान्ट को नहीं दी । उक्त निर्णय प्राकृतिक न्याय के प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय ने सीपीसी की पालना किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.05.2018 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथनों की पुष्टि में आरआरडी 2008 पेज 283, आरआरटी 2003 (1) पेज 647 उद्धरत की ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत के लिए नोटिस जारी किये थे । अपीलान्ट बावजूद सूचना के लोक अदालत में उपस्थित नहीं हुए । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना से विधि सम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.05.2018 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली प्रतिवादी क्रम 2 के जवाब हेतु लम्बित थी दिनांक 16.11.2017 को प्रतिवादी क्रम 2 के अभिभाषक के द्वारा नो इन्स्ट्रक्शन प्लीड किया गया और उसके खिलाफ उसी दिन एक तरफा कार्यवाही की गई, जबकि अभिभाषक के द्वारा नो इन्स्ट्रक्शन प्लीड होने पर पक्षकार को नोटिस दिया जाना अनिवार्य होता है । पत्रावली को दिनांक 03.05.2018 को लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए हैं और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय करते हुए दावा वादी डिक्री किया है । वादी ने उक्त वाद हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था जिसमें अपीलान्ट प्रतिवादी क्रम 01 था । अपीलान्ट के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 11.02.2008 को एक तरफा कार्यवाही की गई थी ।

12. हमने पत्रावली पर संलग्न अपीलान्ट के तामीली सम्मन का अवलोकन किया जिसमें अपीलान्ट के मौके पर नहीं मिलने से उनकी पुत्री सुनीता को तामील किया जाना अंकित है । तामील रिपोर्ट पर गवाहों के हस्ताक्षर नहीं हैं । वादी की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्य में जो शपथ पत्र पेश किया गया है उसकी ताईद के लिए वादी के न्यायालय में बयान नहीं कराये गये हैं जो कि आवश्यक हैं ।

13. अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान की अनुपस्थिति में लोक अदालत में निर्णय पारित किया है जबकि लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है कि जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी

पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करना होता है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपर्ण होने से खारिज होने योग्य है । न्यायहित में हम इस प्रकरण में अपीलान्ट को जवाबदेही का अवसर प्रदान किया जाना उचित समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.05.2018 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत रूप से पत्रावली प्राप्ति के 06 माह के अन्दर नये सिरे से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 08.04.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

15. निर्णय आज दिनांक 27.02.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

27/2/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा